

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 298 / 2011 सत्रवाद
संस्थित दिनांक 04-11-2011

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. रामबीरसिंह पुत्र जगमोहन सिंह गुर्जर उम्र 35 वर्ष।
2. बीरेश सिंह उर्फ बीरेश पुत्र केशवसिंह गुर्जर उम्र 28 वर्ष।
3. जगमोहन गुर्जर पुत्र आशाराम सिंह गुर्जर उम्र 65 वर्ष।
4. केशवसिंह पुत्र आशाराम सिंह गुर्जर उम्र 52 वर्ष। समस्त निवासी ग्राम श्यामपुरा थाना गोहद चौराहा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0 626 / 2011 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र0 298 / 2011

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।

अभियुक्तगण द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर एवं श्री ऊदलसिंह गुर्जर अधिवक्तागण

//नि - र्ण - य//

//आज दिनांक 29-02-2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपी रामबीर का विचारण धारा 307, 307/34, 294 भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1-बी)ए एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। जबकि अन्य आरोपीगण बीरेश, जगमोहन और केशवसिंह का विचारण धारा 307/34, 294

भा0दं0वि0 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। आरोपीगण पर आरोप है कि दिनांक 19.05.2011 के आठ बजे सुबह बिशम्बर का खेत मौजा श्यामपुरा थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में फरियादी शिवनाथसिंह पर बंदूक से फायर इस आशय या ज्ञान या ऐसी परिस्थितियों में किया कि यदि आपके उक्त कृत्य से फरियादी शिवनाथ की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होते और इस प्रकार मारपीट कर फरियादी शिवनाथ को उपहति कारित की। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहआरोपीगण के साथ फरियादी शिवनाथसिंह को बंदूक व अन्य प्रकार से मारपीट ऐसे आशय एवं ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों के अधीन की यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होते और इस प्रकार मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की जो कि आपके द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए उक्त कृत्य किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी शिवनाथसिंह को माँ बहन की अश्लील गालियाँ दी जिससे उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ। आरोपी रामबीर पर यह भी आरोप है कि दिनांक 20.05.2011 को 14:30 बजे अपने मकान के बाहर ग्राम श्यामपुरा में अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस वैध लाइसेंस के बिना अवैध रूप से रखा हुआ था और यह भी आरोप है कि उक्त अग्नेयशस्त्र का उपयोग आहत पर प्राणघातक उपहति कारित करने के प्रयोजन से किया।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 19.05.2011 को 08 बजे बिशम्बर का खेत मौजा श्यामपुरा थाना गोहद चौराहा भिण्ड में पुरानी मारपीट की रंजिश को लेकर के फरियादी शिवनाथ उर्फ अन्नू लेट्रिन करने के लिए बिशम्बर के खेत में गया था तो आरोपी रामबीर 315 बोर का कट्टा, केशव माउजर बंदूक, बीरेश अधिया तथा जगमोहन फर्सा लेकर आए और उसे चारों ओर से घेरकर फायर करने लगे। आरोपी रामबीर ने 315 बोर के कट्टे से जान से मारने की नियत से फरियादी को गोली मारी जो उसके बाँए हाथ की कोहनी के ऊपर लगी जिससे खून निकलने लगा और वह गिर पड़ा। वह चिल्लाया तब उसके चिल्लाने एवं गोलियों की आवाज सुनकर साक्षी रामनिवास, लाखन, राना आ गए जिन्होंने घटना देखी है। जगमोहन ने फर्सा की लाठी फरियादी के कमर में मारी जिससे उसे चोटें आईं। आरोपीगण उसे माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे। फरियादी के परिवार के लोगों के आने पर आरोपीगण टैक्टर में बैठकर भाग गए। फरियादी अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर रिपोर्ट करने गोहद चौराहा थाने पर गए थे जहाँ उसके द्वारा रिपोर्ट लिखवाई गई थी तथा उसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसका मेडीकल परीक्षण किया गया। प्रकरण की विवेचना आगे की गई। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया और घटनास्थल से

खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी जप्त की गई और साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। आरोपी जगमोहन को गिरफ्तार कर उसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर एक वॉस की लाठी जप्त की गई। आरोपी रामबीर को गिरफ्तार कर उसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर एक 315 बोर का कट्टा और एक कारतूस 315बोर का चालू हालत में जप्त किया गया। आरोपी केशवसिंह से एक लाइसेंसी रायफल 306बोर का और एक राउण्ड की जप्ती की गई। आरोपी रामबीर से जप्त किया गया कट्टा बिना लाइसेंस के होने से आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने हेतु स्वीकृति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के द्वारा प्राप्त की गई। जप्तशुदा वस्तुओं को परीक्षण हेतु राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपी रामबीर के विरुद्ध धारा 307, 307/34, 294 भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1-बी)ए व 27 आयुध अधिनियम एवं अन्य आरोपीगण बीरेश, जगमोहन और केशवसिंह के विरुद्ध धारा 307/34, 294 भा0दं0वि0 का आरोप पाये जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव साक्षी के रूप में स्वयं आरोपी रामबीर व0सा0 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

05. आरोपी के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण के द्वारा दिनांक 19.05.2011 के आठ बजे सुबह बिशम्बर का खेत मौजा श्यामपुरा थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में फरियादी शिवनाथसिंह पर बंदूक से फायर इस आशय या ज्ञान या ऐसी परिस्थितियों में किया कि यदि आपके उक्त कृत्य से फरियादी शिवनाथ की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होते ?
2. क्या उक्त प्रकार से मारपीट कर फरियादी शिवनाथ को उपहति कारित की?
3. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहआरोपीगण के साथ फरियादी शिवनाथसिंह को बंदूक व अन्य प्रकार से मारपीट ऐसे आशय एवं ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों के अधीन की यदि उसकी उसकी मृत्यु हो जाती तो वह

हत्या के दोषी होते और इस प्रकार मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की जो कि आपके द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए उक्त कृत्य किया?

4. क्या आरोपीगण के द्वारा उक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी शिवनाथसिंह को माँ बहन की अश्लील गालियाँ दी जिससे उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ?
5. क्या आरोपी रामबीर दिनांक 20.05.2011 को 14:30 बजे अपने मकान के बाहर ग्राम श्यामपुरा में अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस बिना वैध लाइसेंस के अवैध रूप से रखा हुए पाया गया?
6. क्या आरोपी रामबीर के द्वारा उक्त अग्नेयशस्त्र का उपयोग घटना कारित करने में किया गया?

-: सकारण निष्कर्ष:-

बिन्दु क्रमांक 04:-

06. घटना दिनांक को आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा फरियादी शिवनाथ को सार्वजनिक स्थान उसके निकट अश्लील गाली गलोज किए जाने का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि धारा 294 भा0दं0वि0 के प्रावधानों को आकर्षित करने हेतु यह आवश्यक है कि घटनास्थल सार्वजनिक स्थान या उसके निकट हो। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, घटना खेत की होनी बताई है। नक्शामौका प्र.पी. 2 जो कि घटनास्थल विशम्बर का खेत होना बताया गया है। किसी व्यक्ति के खेत को सार्वजनिक स्थान होना नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त फरियादी के द्वारा जो गाली के शब्द आरोपीगण के द्वारा उन्हें दी जाना बताई जा रही है वह किसी अन्य व्यक्ति या साक्षी के द्वारा सुनी गई हो ऐसा भी कहीं नहीं आया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 294 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है।

बन्दु क्रमांक 1, 2 व 3:-

07. डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 3 के द्वारा दिनांक 19.05.2011 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान थाना गोहद चौरहो के आरक्षक के द्वारा लाए जाने पर आहत शिवनाथ पुत्र माधोसिंह निवासी श्यामपुरा का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे चोट क्रमांक (1) वाई भुजा के नीचे एक तिहाई भाग में फटा हुआ घाँव 1.6 गुणा 1.3 से.

मी. आकार का था जिसके किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। जिसके किनारे एवं आसपास की चमड़ी झुलसी हुई थी तथा कालापन लिए हुए थे। उक्त घाँव प्रवेश घाँव था जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी थी। चोट कमांक (2) बाईं भुजा में पीछे की तरफ फटा हुआ घाँव 0.8 गुणा 0.6 से.मी. आकार का था जिसके किनारे बाहर की तरफ मुड़े हुए थे जो कि निकासी घाँव था जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी थी। उक्त चिकित्सक साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में बताया है कि आहत को आई हुई चोटें अग्नेयशस्त्र से आना संभावित थी जो कि काफी नजदीक से दी गई होना प्रतीत होती थी। उक्त चोट परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर की थी। आहत के शरीर पर मौजूद शर्ट पर खून के दाग लगे हुए थे जिसे कि संबंधित आरक्षक को सौंपा गया था। रिपोर्ट प्र.पी. 4 के ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

08. इस प्रकार डॉक्टर आलोक शर्मा के कथन से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात् आहत शिवनाथ के शरीर पर उपरोक्त बताई हुई उपहति मौजूद थी जो कि अग्नेयशस्त्र से आना चिकित्सक के द्वारा बताया गया है। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा फरियादी को जान से मारने का प्रयत्न किया गया? क्या आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा फरियादी को चोटें पहुँचाकर उक्त उपहति कारित की गई?

09. घटना के संबंध में घटना के फरियादी/आहत शिवनाथ अ0सा0 1 अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का समर्थन करते हुए बताया है कि करीब दो-ढाई साल पहले की बात है, सुबह के सात आठ बजे का समय था। वह खेत पर लेट्रिन करने के लिए जा रहा था। आरोपी रामबीर, जगमोहन, केशव और बीरेश ने उसे घेरा और उसे माली देते हुए यह कहने लगे कि तुम्हे बचाने वाला कौन है। आरोपी बीरेश अधिया, केशव बंदूक, रामबीर कट्टा और आरोपी जगमोहन फर्सा लिए हुए थे। उक्त आरोपीगण ने उसे घेर लिया और गोली मारने लग गए। आरोपी रामबीर ने कट्टे से फायर किया जो कि बाएँ हाथ की कोहनी के ऊपर लगा और आरोपी केशव ने भी अपनी बंदूक से फायर किया, आरोपी जगमोहन ने धारिया से बार किया जो कि उल्टी तरफ से धारिया मारा था जिससे मूढ़ी चोट कमर में आई थी। आरोपी बीरेश ने भी अधिया से फायर किया था। घटनास्थल पर उसका भाई रामनिवास, लाखन और राना आ गए थे। उक्त लोग एवं उसका भाई उसे उठाकर गोहद चौराहे थाना लाए थे। उसे मेडीकल के लिए अस्पताल भेजा था, जहाँ उसका इलाज हुआ था और गोहद अस्पताल में वह लगभग 15 दिन भर्ती रहा था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका कथन लिया था।

10. अभियोजन साक्षी रामनिवास अ0सा0 2 जो कि घटनास्थल पर गोलियों की आवाज सुनकर आना बताया है। साक्षीन ये भी बताया है कि उसने देखा कि उसके भाई

शिवनाथ को गोली लगी थी जो कि उसकी बाईं भुजा के कोहनी पर लगी थी। रामबीर ने उसके भाई को गोली मारी थी, जगमोहन ने लाठी मारी जो उसकी पीठ में लगी थी, केशव ने बंदूक से फायर किया था। आरोपी टैक्टर लेकर वहाँ से भाग गए। वह अपने भाई को मोटरसाइकिल में बैठाकर गोहद चौराहा थाने पर लाया था, जहाँ रिपोर्ट लिखाई थी। उसके भाई का इलाज हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँचकर घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्र.पी. 2 है। पुलिस ने खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी व कारतूस के खाली खोखे जप्त कर जप्तीपत्रक प्र.पी. 3 बनाया था।

11. उपरोक्त संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी रानाजीत अ0सा0 6 और लाखन अ0सा0 7 के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का समर्थन करते हुए बताया है कि घटना के समय वह घटनास्थल के पास स्थिति मंदिर में बैठकर पशु चरा रहे थे। उन्होंने आरोपी रामबीर, केशव, जगन्नाथ एवं बीरेश चारों लोगों को देखा था जो कि रामबीर के पास कट्टा, बीरेश के पास अधिया, केशव के पास लाइसेंसी बंदूक एवं जगमोहन के पास फर्सा था। उक्त आरोपियों के द्वारा आहत अन्नू (शिवनाथ) को रामबीर ने कट्टा मारा था जो कि अन्नू के बाँए भुजा में लगा था। आरोपीगण टैक्टर में बैठकर घटनास्थल से भाग गए थे।

12. अभियोजन साक्षी नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी अ0सा0 10 जिन्होंने कि घटना की प्रथम सूचनारिपोर्ट फरियादी के बताए अनुसार लेखबद्ध करना बताया है जो कि अपराध क्रमांक 71/11 धारा 307, 323, 294, 34 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया था जो प्र.पी. 1 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। रिपोर्ट लिखने के पश्चात् आहत को मेडीकल परीक्षण हेतु भेजा था, घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 तैयार किया था तथा घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी एवं 315 बोर के राउण्ड के खाली खोखे जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 बनाया था। इसके अलावा साक्षी मोनू शिवनाथ, राना उर्फ रानाजीत के कथन लेखबद्ध किए थे।

13. अभियोजन साक्षी आरक्षक जगराम सिंह जो कि सी.एच.सी. गोहद से शीलबंद पोटली और शीलबंद नमूना प्राप्त कर गोहद चौराहा थाने में पदस्थ एच.सी.एम को देकर उसकी जप्ती कराना और जप्ती पत्रक प्र.पी. 10 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी महेश सिंह शर्मा अ0सा0 13 जो कि जगमोहन को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना और एक वांस की लाठी जिसमें कि लोहे का फर्सा लगा हुआ था जप्त करना बताया है, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 6, मेमोरेण्डम प्र.पी. 7 और जप्ती पत्रक प्र.पी. 8 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त आरोपी केशवसिंह को गिरफ्तार करना और उससे एक लाइसेंसी रायफल 306 बोर का और लाइसेंस

की फोटोकॉपी उसके पेश करने पर जप्ती पत्रक प्र.पी. 16 तैयार करना बताया है, जिसका कि समर्थन साक्षी सुरेश बाबू अ0सा0 12 के द्वारा भी किया गया है।

14. राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श सी1 के अनुसार प्रदर्श ए1 की पिस्तौल 315 बोर की थी जो कि चालू हालत में पाई गई थी और चलाए जाने के अवशेष भी थे। परीक्षण हेतु भेजे गए कारतूस एल.आर 1 जीवित था जो कि 315 बोर का कारतूस था तथा ई.सी 1 एक चला हुआ 315 बोर का कारतूस का खोखा था। परीक्षित शर्ट सी1 में छिद्र अंकित होना पाया था जो कि गनशॉट के छिद्र था और जिसमें लेक्टर युक्त कॉपर जैकेटेड बुलेट जिसे कि 315बोर की केलीवर बुलेट के लगने से बना था। इसके अतिरिक्त घटनास्थल से जप्त खून आलूदा मिट्टी, आहत की शर्ट और जप्तशुदा लाठी 'जी' पर मानव रक्त होना पाया गया।

15. बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी के रूप में आरोपी रामबीर व0सा0 1 का परीक्षण कराया गया है जिसने कि अपने कथन में बताया है कि उसकी मारपीट फरियादी पक्ष के द्वारा की गई थी जिसका कि प्रकरण उनके खिलाफ चला था जिसमें कि वह दोषसिद्ध भी हो चुके हैं। उक्त प्रकरण में राजीनामा का दबाव बनाने के लिए झूठा केश बनाया गया है। बचाव पक्ष के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 190/2011 ई0फौ0 शा0पु0 गोहद चौराहा वि0 माधोसिंह बगैरह के निर्णय दिनांक 24.04.2015 की सत्यप्रतिलिपि पेश की गई है।

16. अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य कथन पर उनके प्रतिपरीक्षण उपरांत साक्ष्य मूल्य एवं साक्ष्य का विवेचन किया जाना उचित होगा।

17. घटना के आहत/फरियादी शिवनाथ के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना का फरियादी/रिपोर्टकर्ता शिवनाथ अ0सा0 1 थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 दर्ज कराना बता रहा है, किन्तु इस बिन्दु पर प्रतिपरीक्षण कंडिका 5 में साक्षी बताया है कि उसने थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी, उसने अस्पताल में रिपोर्ट लिखाई थी। जब उसने रिपोर्ट लिखाई थी उस समय वह होश में था। इसी प्रकार कंडिका 6 में इस बात को स्वीकार किया है कि प्र.पी. 1 की रिपोर्ट पर उसने थाने में हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसी कंडिका में वह बता रहा है कि उसने प्र.पी. 1 की रिपोर्ट नहीं की थी उसके भाई रामनिवास के द्वारा की गई थी। साक्षी रामनिवास अ0सा0 2 के द्वारा कंडिका 6 में बताया गया है कि उसने थाने पर रिपोर्ट लिखवाई थी और उसने पुलिस रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस बिन्दु पर घटना के प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी अ0सा0 10 के द्वारा यह बताया गया कि उसे घटना के फरियादी द्वारा थाना

गोहद चौराहे पर रिपोर्ट की गई थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उन्होंने दर्ज की थी। इस प्रकार फरियादी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 उसके द्वारा न लिखाकर उसके भाई रामनिवास के द्वारा रिपोर्ट लिखाना बताया जा रहा है और उसके द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि उनके द्वारा रिपोर्ट थाने में नहीं लिखाई गई थी। इस प्रकार घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाए जाने के संबंध में घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता के कथनों में विसंगति आनी स्पष्ट होती है।

18. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि घटना में फरियादी उसके वेहोश होना अभिकथित कर रहा है, किन्तु घटना में जो चोट आहत को आनी बताई गई है वह केवल वाईं भुजा में प्रवेशन और निकासी घाँव है जो कि प्रवेशन घाँव 1.6 गुणा 1.3 तथा निकासी घाँव 0.8 गुणा 0.6 आकार का है। इस प्रकार वाह की चोट के अतिरिक्त उसके शरीर पर कोई भी अन्य कोई भी चोट चिकित्सीय प्रतिवेदन में होनी नहीं दर्शाई गई है, जबकि फरियादी शिवनाथ उसे धारिया से उल्टी तरफ से मारना और उसकी कमर में मूदी चोट लगना बता रहा है। आहत को कमर में किसी प्रकार की मुदी चोट चिकित्सक के द्वारा पाई जाने का कोई उल्लेख नहीं है। निश्चित रूप से यदि किसी व्यक्ति को वाह पर जिस प्रकार की चोट होनी बताई जा रही है उस प्रकार की चोट पहुँचाई जाए तो व्यक्ति साधारणतः वेहोश नहीं होगा। फरियादी/आहत ने 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती होना और इलाज चलने के संबंध में बताया गया है, किन्तु उसके द्वारा इलाज के संबंध में कोई पर्चे आदि पेश नहीं किए गए हैं ऐसी दशा में 15 दिन तक उसकी चोट का कोई इलाज चला हो ऐसा कहीं भी सम्पुष्ट नहीं होता है।

19. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी उसे उसके भाई रामनिवास के द्वारा मोटरसाइकिल में रिपोर्ट कराने हेतु लाना बताया है और इस बिन्दु पर रामनिवास अ0सा0 2 के द्वारा भी मोटरसाइकिल पर बैठाकर गोहद चौराहा थाने भाई को लाने के संबंध में बताया है। घटनास्थल पर रामनिवास के अतिरिक्त अन्य साक्षी रानाजीत अ0सा0 6 व लाखन अ0सा0 7 के मौजूद होने के बारे में बताया जा रहा है, किन्तु उक्त दोनों साक्षीगण के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह बताया गया है कि घटना कारित होने के पश्चात् वह अपने गांव चले गए थे। उक्त साक्षीगण आहत को मोटरसाइकिल में पीछे से पकड़कर लाए हों ऐसा कभी भी प्रमाणित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त आहत जो कि स्वयं को वेहोश होना बता रहा है उसे रिपोर्ट करने हेतु पीछे से पकड़कर कोई अन्य साक्षी उसे थाने पर रिपोर्ट करवाने लाया हो इस आशय का कोई भी साक्ष्य अभियोजन के द्वारा पेश नहीं किया गया है। कोई वेहोश व्यक्ति मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर रिपोर्ट करने आए ऐसा स्वभाविक नहीं लगता है।

20. उक्त फरियादी के द्वारा कंडिका 5 में इस सुझाव से इन्कार किया है कि उस पर आरोपी बीरेश के द्वारा कोई भी फायर नहीं किया गया था। इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी केशव के द्वारा भी कोई फायर नहीं किया गया। कंडिका 9 में आरोपी रामबीर के द्वारा चार फायर किया जाना बताया है जो कि चौथा फायर सात-आठ फिट की दूरी से किया जाना और जो उसकी बाएं हाथ की कोहनी के उपर लगना उसके द्वारा बताया है। कंडिका 9 में साक्षी यह बताया है कि जब वह लेट्रिन करने गया था तो उस समय चारों आरोपीगण अलग अलग दिशा से आए थे, किन्तु वह यह नहीं बता सकता कि कौन आदमी किस दिशा से आया था। उसने सामने से आरोपी रामबीर को देखा था, पीछे व आजू बाजू से कौन कौन आए थे उसे नहीं मालूम।

21. इसके अतिरिक्त अभियोजन के द्वारा बताई गई अन्य कार्यवाही जो कि घटना स्थल के पास से खाली खोखे 315 बोर की जप्ती जप्तीपत्रक प्र.पी. 3 के अनुसार की जानी बताई गई है। उक्त जप्तशुदा कारतूस के खाली खोखे तथा आरोपी रामबीर से जप्त 315 बोर का कट्टा प्र.पी. 14 के अनुसार जप्त होना बताया गया है। उक्त जप्तशुदा कट्टे एवं कारतूस परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी. 1 में आर्टिकल सी जो कि 315 बोर के कारतूस के खोखे की जाँच करने पर अपने अभिमत में यह बताया गया है कि उक्त खोखे को इस जप्तशुदा बताए गए पिस्तौल प्र.ए.1 से फायर नहीं किया गया है। इस प्रकार घटनास्थल पर जप्त किए गए खोखे के परीक्षण से उक्त कारतूस के खोखे को कथित रूप से आरोपी रामबीर के आधिपत्य से जप्त अग्नेयशस्त्र से फायर किया जाना भी नहीं पाया गया है।

22. घटना दिनांक को घटनास्थल पर फरियादी शिवनाथ अ0सा0 1 ने आरोपी रामबीर के द्वारा कट्टे से फायर किया जाना और आरोपी बीरेश ने अधिया से फायर करना और केशव के द्वारा भी बंदूक से फायर करना बताया है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 9 में साक्षी बताया है कि रामबीर ने 3 फायर किए थे। इसके अतिरिक्त बीरेश और केशव के द्वारा भी घटना स्थल पर मौके पर फायर किया जाना उसके द्वारा बताया जा रहा है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटनास्थल से पुलिस के द्वारा मात्र एक कारतूस का खाली खोख जप्त किया गया है। निश्चित तौर से यदि घटनास्थल पर 315 बोर के हथियार से और अधिया तथा 306 बोर के अग्नेयशस्त्र से फायर हुए थे तो मौके पर घटनास्थल या उसके आस पास अन्य कारतूस के खोखे भी होंगे, किन्तु अन्य खोखों की जप्ती घटनास्थल या उसके आसपास से नहीं की गई है। इस बिन्दु पर विवेचना अधिकारी नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी अ0सा0 10 के द्वारा स्पष्ट रूप से कंडिका 3 में यह बताया गया है कि घटनास्थल पर एक ही कारतूस का खोखा

मिला था जो कि घटनास्थल पर पड़ा था और यह भी बताया है कि यदि 2-3 फायर और हुए होते तो उनके खोखे भी घटनास्थल से मिलते। घटनास्थल से एक 315बोर के खोखे के अतिरिक्त अन्य कोई खाली खोखा न मिलना भी इस बात को दर्शाता है कि घटनास्थल पर घटना का फरियादी जितने फायर होना बता रहा है और जिस प्रकार के हथियारों से फायर होना बता रहा है, उतने फायर न तो घटनास्थल पर हुए है। इस परिप्रेक्ष्य में भी फरियादी के साक्ष्य कथन की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

23. यह भी उल्लेखनीय है कि आहत शिवनाथ को जो चोट चिकित्सक के द्वारा अपनी रिपोर्ट में पाई गई है जो कि चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 3 के अनुसार आहत के बाएं भुजा के नीचे एक प्रवेशन घाँव और बाईं भुजा के पीछे एक फटा हुआ घाँव जो कि निकाशी का घाँव पाया गया है। आहत के प्रवेशन घाँव में उनके द्वारा चमड़ी झुलसी हुई तथा कालापन लिए हुए पाया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आहत के द्वारा उसे उक्त चोट 7-8 फिट दूरी से पहुँचाया जाना अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है, जबकि इस संबंध में डॉक्टर आलोक शर्मा के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपरीक्षण कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि आहत को बताई हुई चोट 7-8 फिट की दूरी से फायर कर आना संभव नहीं है। कंडिका 2 में इस बात को स्वीकार किया है कि इस प्रकार की चोट स्वकारित भी हो सकती है, क्योंकि गोली काफी नजदीक से चलाई गई थी। फरियादी/आहत शिवनाथ के द्वारा पुलिस को दिए गए 161 दं.प्र.सं. के कथन में उसे आरोपी रामबीर के द्वारा बिल्कुल सटाकर गोली मारी जाने के संबंध में बताया गया है, किन्तु न्यायालय में हुए कथन में उसके द्वारा बिल्कुल सटाकर उसे गोली मारे जाने के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया गया है। इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में साक्षी यह कथन किया है कि उसने पुलिस को दिए गए कथन प्र.डी. 1 में रामबीर के द्वारा बिल्कुल सटाकर गोली मारने की बात पुलिस को नहीं बताई थी। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर साक्षी के द्वारा पुलिस को दिए गए धारा 161 के कथन एवं न्यायालय में हुए कथनों में परस्पर महत्वपूर्ण लोप आना स्पष्ट होता है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्पष्ट रूप से यह बता रहा है कि जो गोली उसके हाथ में लगी थी वह 7-8 फिट की दूरी से लगी थी।

24. आरोपीगण की घटनास्थल पर आने के संबंध में भी साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह बताया गया है कि उसने मात्र आरोपी रामबीर को सामने से आते हुए देखा था शेष आरोपीगण किधर से एवं कैसे आए इस बारे में वह कुछ नहीं बता पाया है।

25. इस प्रकार घटना के फरियादी शिवनाथसिंह के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों के परिप्रेक्ष्य में और उनके आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होनी नहीं मानी जा सकती। यह आवश्यक है कि अभियोजन प्रकरण की

सम्पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर हो।

26. अन्य अभियोजन साक्षी रामनिवास अ0सा0 2 जो कि घटना के समय मंदिर में पूजा करने हेतु जाना बता रहा है। कंडिका 5 में उसके द्वारा बताया गया है कि जब वह अपने भाई के पास पहुँचा तो उसने अपने भाई को जमीन पर वेहोश पड़ा देखा था। आरोपीगण को उसने मंदिर के पास 10-20 हाथ दूरी से भागते हुए देखा था। उन्हें वकील के खेत से भागते हुए देखना वह बता रहा है। कंडिका 6 में साक्षी यह बताया है कि उसे उसके भाई को गोली लगने वाली बात लाखन और रानाजीत ने बताई थी। कंडिका 7 में बताया है कि वह नहीं बता सकता है कि कितने फायर हुए थे। उसने 2-3 फायरों की आवाजें सुनी थी। कंडिका 10 में साक्षी इस बात को स्वीकार किया है कि उसने अपने भाई को गोली मारते हुए किसी को नहीं देख था, वह घटनास्थल पर बाद में पहुँचा था। साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि घटना के पूर्व उसका भाई, पिता व उसके विरुद्ध रामबीर ने गोहद चौराहा थाने में रिपोर्ट की थी।

27. इस प्रकार साक्षी रामनिवास अ0सा0 2 के कथन से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, घटना घटित होने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंचना बता रहा है। आरोपीगण को घटनास्थल से भागते हुए देखने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में भी मुख्य परीक्षण में वह आरोपीगण को टैक्टर लेकर भागते हुए देखना बता रहा है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में वह मंदिर के पास से आरोपीगण को भागते हुए देखना बता रहा है जो कि पैदल भागते हुए देखने के संबंध में उसके द्वारा बताया गया। इस प्रकार इस संबंध में आरोपीगण को घटनास्थल से भागते हुए उसके द्वारा देखे जाने के संबंध में भी साक्षी के कथनों में महत्वपूर्ण प्रकार की विसंगति आनी स्पष्ट होती है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसकी समग्र साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में उसके कथन विश्वसनीय नहीं पाए जाते हैं। उसके कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण की कोई सम्पुष्टि होनी नहीं मानी जा सकती है।

28. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत घटना के अन्य साक्षी रानाजीत अ0सा0 6 एवं लाखन अ0सा0 7 जो कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी होने बताए गए हैं के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है। साक्षी रानाजीत प्रतिपरीक्षण कंडिका 3 में यह बताया है कि उसने पशु चराते समय अन्नू उर्फ शिवनाथ को लोटा लेकर सोंच के लिए आता हुआ दिखा था और उसे आरोपी रामबीर दिखा था बांकी लोग बाद में आए थे और रामबीर कट्टा लेकर आया था। कंडिका 4 में इस बात को स्वीकार किया है कि उसके सामने रामबीर ने फरियादी को गोली नहीं मारी थी। जब वह पहुँचा तो फरियादी जमीन पर पड़ा था। फरियादी अन्नू ने भी घटना के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। साक्षी कंडिका 6 में इस बात को स्वीकार

किया है कि उसने घटनास्थल पर अन्य आरोपी केशव और बीरेश को रामबीर के साथ आते नहीं देखा था और इस बात को भी स्वीकार किया है कि केशव व बीरेश के द्वारा फरियादी के साथ कोई मारपीट नहीं की। यद्यपि उनके बाद में आने के संबंध में वह बता रहा है।

29. इस प्रकार साक्षी रानाजीत अ0सा0 6 के कथन से स्पष्ट है कि उसने किस के द्वारा गोली मारी गई यह नहीं देखा था। इसके अतिरिक्त साक्षी के कथन से यह भी स्पष्ट है कि आरोपी रामबीर के अतिरिक्त अन्य आरोपीगण रामबीर के साथ घटनास्थल पर नहीं आए थे। यद्यपि साक्षी के कथन से रामबीर को घटनास्थल के पास कट्टा लिए हुए देखने का तथ्य आया है, किन्तु साक्षी के सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए कथन स्पष्ट रूप से प्रतिखण्डित हो रहे हैं। ऐसी दशा में उक्त साक्षी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के फरियादी/आहत शिवनाथ के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि साक्षी रानाजीत एवं साक्षी लाखनसिंह घटना घटित होने के पश्चात् घटनास्थल पर आए थे।

30. अन्य साक्षी लाखन अ0सा0 7 जो कि घटना का अन्य चक्षुदर्शी साक्षी होना बताया गया है। उक्त साक्षी भी प्रतिपरीक्षण में इस बात की जानकारी न होना बताया है कि किस के खेत में अन्नू लेट्रिन करने के लिए गया था। कंडिका 3 में साक्षी यह बताया है कि घटनास्थल पर मंदिर से दौड़कर वह पहुँचा था। जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तो वहाँ पर अन्नू पड़ा हुआ था और रामबीर खड़ा मिला था। प्रतिपरीक्षण में फरियादी को गोली लगते हुए उसके द्वारा स्वयं देखा जाना वह बता रहा है, इस संबंध में साक्षी के पुलिस कथन प्र.डी. 3 में यह बात आई है कि शिवनाथ ने उसे बताया था कि 315 बोर के कट्टे से रामबीर ने उसे गोली मारी है और फर्से की लाठी जगमोहन ने मारी है और चारों लोगों ने जान से मारने की नियत से चोटें पहुँचाई है और इस संबंध में पुलिस कथन प्र.डी. 3 के बी से बी भाग पर तथा अन्नू के द्वारा बताया गया कि गोली कट्टा सटाकर रामबीर ने मारी है सी से सी भाग की बात साक्षी ने पुलिस को न देना भी पुलिस कथन में बताया है। जबकि न्यायालय में हुए कथन में वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना और उसके सामने घटना घटित होना बता रहा है।

31. इस प्रकार घटना के संबंध में अभियोजन साक्षी रानाजीत अ0सा0 6 व लाखन अ0सा0 7 के घटना के चक्षुदर्शी साक्षी होने के संबंध में उनके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में जो तथ्य बताए गए हैं वह उनके प्रतिपरीक्षण उपरांत आए हुए कथनों से प्रतिखण्डित होत है। उक्त साक्षीगण घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद होना या उनके द्वारा घटना देखा जाना प्रमाणित नहीं होता है। उक्त साक्षीगण के कथन प्रतिपरीक्षण उपरांत पूर्णतः खण्डित हुए हैं।

इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण की किसी प्रकार से सम्पुष्टि होनी नहीं मानी जा सकती है।

32. प्रकरण में चिकित्सीय साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 3 के द्वारा कथन में प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि आहत को जो गोली लगी थी वह काफी नजदीक से चलाई गई होगी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आहत को बताई गई चोट सात आठ फिट की दूरी से फायर करने से आना संभव नहीं है। आहत की उक्त चोट स्वकारित हो सकना उनके द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में मौखिक साक्ष्य जो कि फरियादी शिवनाथ के द्वारा उसे पहुँचाई गई बाँए हाथ की कोहनी के चोट रामबीर के द्वारा कट्टे से फायर करना बताया जा रहा है। इस संबंध में उक्त चोट उसे नजदीक से पहुँचाए जाने से वह इन्कार कर रहा है और उसके द्वारा यह बताया गया है कि सात आठ फिट की दूरी से उसे चोट पहुँचाई गई थी। यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सक के द्वारा आहत रामबीर की चोट क्रमांक 1 जो कि प्रवेशन घाँव है, घाँव के किनारे तथा उसकी आसपास की चमड़ी झुलसी हुई होना एवं कालापन लिए हुए होना बताया है और इसी आधार पर अभिमत में उनके द्वारा काफी नजदीक से गोली चलाए जाने के संबंध में बताया है।

33. आहत रामबीर को आई हुई चोट जो कि कट्टे से फायर कर गोली चलाई जानी बताई जा रही है, जिसमें कि चिकित्सक के द्वारा घाँव के किनारे और आसपास की चमड़ी झुलसी होने के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस संबंध में फरियादी उसे एकदम सटाकर या नजदीक से गोली मारने से इन्कार कर रहा है और सात आठ फिट की दूरी से गोली मारना उसे बता रहा है। निश्चित तौर से कट्टा जो कि राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पिस्तौल के रूप में उल्लेखित है। पिस्तौल से किसी व्यक्ति को चोट मारी जाए तो आसपास की चमड़ी झुलसना और उसमें कालापन होना तभी हो सकता है, जबकि अधिकतम तीन या चार फिट की दूरी से मारा गया हो। जैसा कि इस बिन्दु पर **बुद्धसिंह वि0 स्टेट ऑफ़ एम.पी. ए.आई.आर. 2010 एस.सी. (सप्ली) 267** में भी अवधारित किया गया है। ऐसी दशा में आहत को बताई हुई उक्त चोट आरोपी रामबीर के फायर करने से ही आई हो इस संबंध में चिकित्सीय अभिमत के आधार पर भी फरियादी के कथन की सम्पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।

बिन्दु क्रमांक 5 व 6:-

34. घटना के प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं विवेचना अधिकारी नरेन्द्र कुमार

त्रिपाठी अ0सा0 10 आरोपी रामबीर को दिनांक 20.05.2011 को गिरफ्तार करना गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 11 तैयार करना और उसी दिनांक को आरोपी से पूछताछ कर उसने 315 कट्टा घर के बाहर वाले कमरे में छिपाकर रख देना और चलकर बरामद करा देना बताया था। उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर उसके पेश करने पर एक 315 बोर का कट्टा और एक राउण्ड चालू हालत में जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 14 बनाया था।

35. जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई मेमोरेण्डम के आधार पर जप्ती की कार्यवाही का जहाँ तक प्रश्न है, अभियोजन के द्वारा मेमोरेण्डम एवं जप्ती के संबंध में साक्षी अरविंद अ0सा0 11 का परीक्षण कराया गया है। उपरोक्त बिन्दु पर अन्य साक्षी हरेन्द्र का कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया है। साक्षी अरविन्द अ0सा0. 11 के द्वारा आरोपी रामबीर ने उसके मेमोरेण्ड कथन के आधार पर जप्ती के संबंध में अभियोज प्रकरण का कोई भी समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, किन्तु इस दौरान उसके साक्ष्य कथन में इस बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन व पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी दशा में जप्ती के बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा बताए गए साक्षी अरविंद के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं हुआ है और इस बिन्दु पर दूसरे साक्षी हरेन्द्र का परीक्षण अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया है। इस प्रकार किसी स्वतंत्र साक्षी के कथन के आधार पर आरोपी रामबीर के मेमोरेण्डम कथन के आधार 315 बोर के कट्टा व राउण्ड की जप्ती का कोई समर्थन नहीं होता।

36. उपरोक्त बिन्दु पर जप्तीकर्ता अधिकारी नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी अ0सा0 10 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में इस उसे यह बात याद न होना बताया है कि आरोपी रामबीर के मकान का दरवाजा किस दिशा में है और वह यह भी नहीं बता सकता कि उसके घर में कितने कमरे बने हैं तथा यह भी नहीं बता सकता कि जहाँ से कट्टा बरामद कराया था वह स्थल मकान के बाएँ अथवा दाएँ तरफ किधर है। इसके अतिरिक्त मेमोरेण्डम एवं जप्ती के साक्षियों के मौजूद होने के संबंध में भी साक्षी वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया है। इस परिप्रेक्ष्य में साक्षी नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी अ0सा0 10 जिनके द्वारा कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने सहित प्रकरण में विवेचना की लगभग पूर्ण कार्यवाही की गई है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके आए हुए कथनों के परिप्रेक्ष्य में जबकि जप्ती की कार्यवाही का समर्थन किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा नहीं किया गया है। मात्र उक्त साक्षी के कथन के आधार पर जप्ती की कार्यवाही संदिग्ध से परे माना जाना सुरक्षित नहीं है। इस संबंध में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी. 1 में यद्यपि प्र. ए1 की पिस्तौल को 315 बोर का होना और चालू हालत में होना बताया गया है

तथा कारतूस को भी जीवित होना बताया गया है, किन्तु रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि मौके से जप्त बताए गए खोखा उक्त पिस्तौल ए1 से फायर नहीं किया गया है। इस प्रकार घटना में उक्त 315 बोर का कट्टा (पिस्तौल) प्रयुक्त किया जाना भी उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

37. इस प्रकार जबकि कथित रूप से 315 बोर के कट्टे एवं कारतूस की जप्ती का तथ्य अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। इस संबंध में मात्र अभियोजन चलाए जाने हेतु तत्कालीन जिला एवं दण्डाधिकारी के द्वारा स्वीकृति दिए जाने के आधार पर जो कि इस संबंध में स्वीकृति दिए जाने के बिन्दु पर योगेन्द्रसिंह अ0सा0 8 तत्कालीन आर्म्स क्लर्क जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के द्वारा अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्र.पी. 9 तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव के द्वारा देना और उस पर हस्ताक्षर होना बताया है। मात्र इस आधार पर आरोपी रामबीर के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

38. उक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपी रामबीर से 315 बोर के कट्टे एवं जिंदा कारतूस की जप्ती तथा उक्त आरोपी के द्वारा घटना में उक्त कट्टा एवं कारतूस का उपयोग किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

39. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई समग्र अभियोजन साक्ष्य के आधार पर जबकि घटना के फरियादी/आहत शिवनाथसिंह के द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि उसके और उसके भाई रामनिवास के विरुद्ध घटना के पूर्व का मुकद्दमा आरोपी राजबीर की रिपोर्ट के आधार पर चल रहा है और इस संबंध में बचाव साक्षी के रूप में आरोपी रामबीर के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के प्र0कं0 190/11 ई0फौ0 दिनांक 24.04.15 की सत्यप्रतिलिपि भी पेश की गई है जिससे भी यह स्पष्ट है कि फरियादी व उसके भाई के विरुद्ध आरोपी रामबीर की रिपोर्ट पर प्रकरण चल रहा है। ऐसी दशा में बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया यह आधार कि पूर्व में चल रहे उक्त मुकद्दमे में राजीनामा करने हेतु दबाव बनाने के उद्देश्य से चोट को स्वकारित पहुँचाकर आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट कर दी गई हो इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

40. इस प्रकार जबकि फरियादी शिवनाथ के साक्ष्य कथन में तात्त्विक बिन्दुओं पर विरोधाभास एवं विसंगतियाँ आई हैं, फरियादी के कथन का समर्थन किसी स्वतंत्र साक्षी के कथन के आधार पर नहीं हुआ है और न ही चिकित्सीय साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर सम्पुष्टि होनी पाई गई है। उपरोक्त तथ्य के संबंध में अभियोजन प्रकरण की

प्रमाणिकता युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होनी नहीं पाई जाती है।

41. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के परिप्रेक्ष्य में तथा बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आलोक में अभियोजन का वर्तमान प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। अभियोजन प्रकरण को प्रमातिण न होना पाते हुए आरोपी रामबीर को धारा 307 307 / 34, 294 भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1-बी)ए एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप से जबकि शेष आरोपीगण बीरेश, जगमोहन व केश को धारा 307 / 34, 294 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

42. प्रकरण में आरोपी जप्तशुदा बताए गए अग्नेयशस्त्र एक 315 का कट्टा व एक जिंदा कारतूस एवं एक खाली खोखा 315 बोर के विधिवत निराकरण हेतु अपील अवधि पश्चात् जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजा जावे एवं जप्तशुदा एक वांस की लाठी जिसमें लोहे का फर्सा लगा हुआ एवं आहत जप्तशुदा कपड़े व घटनास्थल से जप्त खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जावे। प्रकरण में जप्तशुदा बताई गई 306बोर की रायफल नम्बर 36774ए तथा नाल नम्बर 30GOVT 06 लिखा हुआ है एवं दो जिंदा राउण्ड उसके स्वामित्व के संबंध में वैध एवं प्रभावी लाइसेंस पेश होने एवं स्वामित्व का प्रमाण पेश होने पर उसके वैध मालिक को अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड